न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण **R.A.S.**

मुकदमा नम्बर :— 179/2019 निर्णय दिनांक :— 3/6/2019

उनवान

1. कजोड पुत्र गेन्दा
2. रामअवतार पुत्र चौथूराम
3. मोतीलाल पुत्र चौथूंराम
4. रमेश चन्द पुत्र चौथूराम
5. गोपाल पुत्र गेन्दा समस्त जाति मीणा निवासी गोबिन्दपुरा तह कोटखावदा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये पुलिस इमदाद पत्थर गढी करवाने बाबत

प्रार्थी गण गोविन्दपुरा तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिनमें आराजी ख.न 525/914, 526/915, 801 से 807, 808/916, 813, 814, 816 किता 3 रकबा 3.80 है0 एवं ख.न 523 से 535, 536/910, 537/913, 539/912, 540, 541, 542/911, किता 19 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का मण्डालिया मैदा तहसील कोटखावदा में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण न उक्त भूमि को पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की [illegible] व जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:13:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सरकार पेश किये जाने हेतु लिखा गया। किन्तु जवाब सरकार प्राप्त नहीं हुआ। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वर्षा का मौसम आने वाला है एवं 15 जून के बाद राज्य सरकार से नियमानुसार पत्थरगढी नहीं किये जाने के आदेश है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी के कथन पर गौर किया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

कि आराजी खसरा नम्बर 525/914, 526/915, 801 से 807, 808/916, 813, 814, 816 किता 3 रकबा 3.80 है0 एवं ख.न 523 से 535, 536/910, 537/913, 539/912, 540, 541, 542/911, किता 19 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का मण्डालिया मैदा तहसील कोटखावदा की पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी एव पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व मौके पर फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। व साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी करने का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:13:15 IST
Reason: SelfAttested